कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मडल

माण्डव रोड़ धार (म.प्र.) 454001

Phon 07292-222250, Email – dfoldhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3119 धार, दिनांक 12 / 07 / 2021

प्रति,

DIVISIONAL ENGINEER TELECOM
PROJECT DIVISION INDORE
BSNL TE BUILDING,
SCHEME NO.94 KANADIA ROAD,
BANGALI SQUARE INDORE, MP

विषय :– इन्दौर / धार / खरगौन जिले में BSNL द्वारा INDORE-MHOW-DHAMNOD ROUTE में ओ0एफ0सी0 लाईन डालने हेतु 0.37 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्।
(प्रकरण क्र. / FP/MP/OFC/37419/2018)

संदर्भ :–
(1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 11–9 / 98–एफसी दिनांक 16.10.2000।
(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक F-15/2018/निर्देश/10-11/48 दिनांक 06.01.2018।
(3) मुख्य वन संरक्षक(क्षे) इन्दौर वृत्त इन्दौर का पत्र क. / माचि / 2021 / 2411 दिनांक 8.6.2021
(4) आपका पत्र क्र. DET/OFC/ID/FOREST/IND-MHW-DHAMNODE/2020-21/2 DATED 20-8-2020.
(5) इस कार्यालय का पत्र क्र. / मा.चि. / 2021 / 2165 दिनांक 09.04.2021।

––000––

म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक F-5/18/2002/10-3 दि. 18.11.04 एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 में दिये गये निर्देशानुसार राईटे ऑफ वे के अंतर्गत वन भूमि में आप्टीकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति जारी करने हेतु वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति के अधिकार वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय को प्रायोजित किये गये है। प्रकरण में प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक इन्दौर वृत्त इन्दौर का प.क्र. / माचि / 2020 / 2411 दिनांक 8.6.2021 से किया गया है।

क्र0	योजना का नाम	मार्ग का नाम जिसके किनारे लाईन डाली जाना प्रस्तावित है।	परिक्षेत्र	प्रभावित वन भूमि का विवरण (हे.) में				प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
				कक्ष क.	लम्बाई मी. में	चौड़ाई मी. में	रकबा (हे.)	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	इन्दौर महू धापनोद रोड़ में ओ.एफ.सी लाईन डालना	पुराना एन.एच–3 ए.बी.रोड़	धामनोद	496 498 500 501	206.28 167.38 882.09 1055.16	0.5	0.0103 0.00837 0.0441 0.05272	--
		योग :–		04	2310.91	0.5	0.1155	--

प्रकरण में आपके द्वारा पंजीयन शुल्क रूपये 5000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 30000/– ऑनलाईन ट्रेजरी चालान नम्बर 0406328 दि.17.3.21 राजस्व मद में जमा कर चालान की प्रति प्रेषित की गई है।

अतः बीएसएनएल द्वारा मार्ग में आप्टिकल फाईबर केबल डालने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत् संदर्भित पत्र कमांक (1) एवं (2) में निर्धारित निम्नानुसार शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के क्षेत्र में आप्टिकल फाईबर केबल नहीं डाली जावेगी।
2. वन भूमि में केबल लाईन बिछाने का कार्य वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत् किया जावेगा। राईट ऑफ वे, से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा तथा तकनीकी दृष्टि से लाईन डालने हेतु न्यूनतम वनभूमि का उपयोग किया जायेगा।

यदि प्रकरण में वृक्षों को हानि/काटा जाता है तो 10 गुना वृक्षों के वैकल्पिक वृक्षारोपण की शर्त अधिरोपित की जावेगी।

5. वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 02 मीटर गहराई तथा 01 मीटर चौडाई से अधिक नहीं होगा।
6. आप्टिकल फाईबर केबल लाईन का रखरखाव एवं दुरूस्ती का कार्य अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
7. समतलीकरण का कार्य आपके द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही अपने साधन द्वारा किया जावेगा।
8. खंती खोदते समय न तो वृक्षों को हानि पहुँचाई जाए तथा न ही खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को काटा जाए।
9. प्रकरण में नेट प्रजेन्ट वेल्यू से छूट है, परन्तु भविष्य में राज्य शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यु की मांग की जाती है तो या दर में वृद्धि होती है तो आपको अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।
11. यदि आपके या आपके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि एवं किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा निर्धारित राशि आपके संस्थान से देय होगी।
12. वचन पत्र प्रस्तुत करे कि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म. प्र./क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी मान्य होगी।
13. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नही किया जायेगा।
14. खंती खोदने या कार्य के दौरान वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार का कोई हानि या नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।
15. आपके द्वारा या नियुक्त ठेकेदार अथवा श्रमिकों द्वारा अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा का पालन किया जायेगा।
16. भूमिगत आप्टीकल फायबर केबल लाईन प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बडे झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका कमांक–202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय कि पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक/16/10/सात/2–ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है के संबंध में आपके द्वारा ऐसे वनों की जानकारी निरंक दर्शायी है। यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिये जारी की जा रही है, जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है।
17. प्रकरण में अ.प्र.मु.व.सं.(भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ई–पोर्टल पर जाकर ऑन लाईन राशि रू.100/–का केम्पा खाते के अदर्स मद में राशि जमा करे एवं प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड करे एवं हार्ड कापी 03–03 प्रतियों में इस कार्यालय को जमा करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। जब तक यह कार्यालय औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं कर देता, तब तक मौका स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जावे।

वन मण्डलाधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल धार

पृ. क्रमांक/मा.चि./2021/3520
धार, दिनांक 12/07/2021

प्रतिलिपि :–
(1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म.प्र की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(2) मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(3) कलेक्टर, जिला धार की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
(4) उप वन मंडलाधिकारी, धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(5) वन परिक्षेत्राधिकारी, धामनोद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। बीएसएनएल द्वारा मार्ग में आप्टिकल फाईबर केबल प्रकरण में सैद्धातिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो का पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति (कार्य करने की अनुमति) पृथक से जारी की जायेगी। जब तक यह कार्यालय औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं कर देता, तब तक मौका स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने दिया जावे।शर्तो का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्यवाही करें।

वन मण्डलाधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल धार

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी,इन्दौर वनमण्डल,इन्दौर

फॉरेस्ट केम्पस,नवरतनबाग, इन्दौर, म प्र – 452001

Tel. (O) 0731-2490239 E-mail : dfotindo@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि / 2021 / 5758 इन्दौर,दिनांक 05/07 / 2021

प्रति,

डिवीजनल इंजीनियर टेलीकॉम
प्रोजेक्ट डिवीजन बी.एस.एन.एल.
स्कीम नं. 94 कनाडिया रोड
बंगाली चौराहा इंदौर

(सैद्धांतिक स्वीकृति)

विषय :– इंदौर/धार/खरगोन जिले में BSNL द्वारा Indore - MHOW - DHAMNOD ROUTE में ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.37 हे. वनभूमि में ओ.एफ.सी. लाईन की राईट आफ वे के अंतर्गत आप्टीकल फायबर लाईन बिछाने की सैद्धांतिक स्वीकृति अनुमति ।

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू–प्रबंध भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ:5/विविध/2020/10–11/2250 दिनांक 16.07.20 मुख्य वनसंरक्षक इंदौर की प्रकरण मे अनुमोदन करने की अनुशंसा पत्र क. 2189 दिनांक 03.04.21 एवं ऑनलाईन प्रस्ताव प्रकरण क./एफ.पी./एम. पी/ओ.एफ.सी./37419/2018

—00—

उपरोक्त विषय में डिवीजनल इंजीनियर (टेलीकाम) प्रोजेक्ट डिविजन इंदौर BSNL के द्वारा संदर्भित प्रस्ताव से वनमण्डल इंदौर के अंतर्गत परिक्षेत्र मानपुर के 0.214 हे. (बडवाह, धार एवं इंदौर की कुल वनभूमि 0.37 हे.) वनभूमि में ओ.एफ.सी.लाईन डालने के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। भारत शासन के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र कमांक 11–9/98 एफसी दिनांक 16.10.2000 के तारतम्य मे म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल का पत्र कमांक एफ–5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004, 14.12.2005, दिनांक 01.07.2009 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक /एफ–11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 के तहत भूमिगत आप्टिकल फायबर लाईन डालने हेतु दिये गये निर्देशानुसार परिक्षेत्र मानपुर आरक्षित वनखण्ड मानपुर के कक्ष कमांक 3, 4, 5, मे कुल 3382 मीटर लम्बाई तथा चौडाई 0.5 मीटर तथा गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.1691 हे. तथा आरक्षित वनखण्ड मानपुर कक्ष क. 32 एवं वनखण्ड यशवंतनगर कक्ष क. 33 कुल लम्बाई 440 मीटर तथा चौडाई 0.5 मीटर गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.0220 हेक्टेयर तथा आरक्षित वनखण्ड मेनविंध्या I- 35, 36 कुल लम्बाई 1430 मीटर तथा चौडाई 0.5 मीटर गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.0715 हेक्टेयर इस प्रकार कुल लम्बाई 5252 मीटर तथा कुल चौडाई 0.5 मीटर कुल रकबा 0.2626 हेक्टर मे वर्तमान मे प्रचलित वनमार्ग के राईट ऑफ वे में आप्टीकल फायबर केबल भूमिगत लाईन बिछाने हेतु मौका जॉच प्रतिवेदन वनपरिक्षेत्राधिकारी मानपुर ने उनके पत्र क. 251 दिनांक 26.02.21 एवं उपवनमण्डलाधिकारी महू ने उनके पत्र क. 697 दिनांक 02.03.21 से प्रेषित किये है। प्रस्ताव के सम्बंध मे ऑनलाईन प्रकिया के तहत प्रस्ताव के भाग 2 की पूर्ति करने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र क. 3346 दिनांक 18.03.21 से प्रकरण मे अनुमोदन प्रदान करने हेतु मुख्य वनसंरक्षक इंदौर को प्रकरण प्रेषित किया गया, मुख्य वनसंरक्षक इंदौर ने उनके पत्र क. 2189 दिनांक 03.04.21 से प्रकरण मे 0.2626 हे. वन भूमि उपयोग पर दिये जाने की अनुशंसा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल को भेजकर

Continuous page-2

Received

इस कार्यालय को प्रतिलिपि प्रेषित की है। वनमार्गो के राईट ऑफ वे में आप्टिकल फायबर केबल भूमिगत लाईन बिछाने के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन जारी करने हेतु वन भूमि व्यपवर्तन स्वीकृति के अधिकार भारत शासन द्वारा राज्य शासन को प्रत्यायोजित किये गये है।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ–5/18/2002/10–3 दिनांक 01.07.2009 से आप्टिकल फायबर के प्रकरण में अनुमति प्रदान करने के निर्देश वनमण्डलाधिकारिओं को आगामी आदेश तक प्रदत्त होने से डिवीजनल इंजीनियर (टेलिकाम) प्रोजेक्ट डिवीजन इंदौर बी.एस.एन.एल. को भूमिगत आप्टीकल फायबर लाईन बिछाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा।

2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान मे उपलब्ध मार्ग के किनारे–किनारे राइट ऑफ वे के तहत ही दी जावेगी। राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

3. इंदौर वनमण्डल की परिक्षेत्र मानपुर के आरक्षित वनखण्ड मानपुर के कक्ष कमांक 3, 4, 5, मे कुल 3382 मीटर लम्बाई तथा चौडाई 0.5 मीटर तथा गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.1691 हे. तथा आरक्षित वनखण्ड मानपुर कक्ष क. 32 एवं आरक्षित वनखण्ड यशवंतनगर के कक्ष क. 33 कुल लम्बाई 440 मीटर तथा चौडाई 0.5 मीटर गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.0220 हेक्टेयर तथा आरक्षित वनखण्ड मनविंध्या I- 35, 36 कुल लम्बाई 1430 मीटर तथा चौडाई 0.5 मीटर गहराई 1.4 मीटर कुल रकबा 0.0715 हेक्टेयर इस प्रकार कुल लम्बाई 5252 मीटर तथा कुल चौडाई 0.5 मीटर कुल रकबा 0.2626 हेक्टर प्रभावित वनभूमि वर्ष 1980 के पूर्व के प्रचलित मार्ग के राइट आफ वे मे कार्य करने की वन भूमि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. प्रभावित वन क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं काटे जावेंगे। यदि वृक्ष काटा जाना हो तो भारत सरकार से वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित प्रकिया अनुसार अनुमति प्राप्त की जाना आवश्यक होगी।

5. वन भूमि पर भूमिगत आप्टीकल फायबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 1.4 मीटर गहराई तथा 0.5 मीटर चौडाई से अधिक नहीं होगा।

6. डिवीजनल इंजीनियर (टेलीकाम) प्रोजेक्ट डिविजन इंदौर BSNL द्वारा इंदौर वनमण्डल की 0.2626 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग की जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है, एवं कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए योजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण आवश्यक नही है। वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्यो को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

7. समतलीकरण का कार्य आवेदक द्वारा खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही अपने साधन द्वारा भरा जावेगा।

8. खंती खोदते समय न तो वृक्षों को हानि पहुंचाई जायेगी तथा न ही खंती में आने वाले वृक्षों की जडों को काटा जायेगा।

9. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.9.2008 अनुसार अण्डर ग्राउण्ड आप्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु नेट प्रेजेन्ट वैल्यू से पूर्णत छूट प्रदान की गई है। किंतु भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि डिवीजनल इंजीनियर (टेलिकाम) प्रोजेक्ट डिवीजन इंदौर बी.एस.एन.एल. के द्वारा देय होगी। इस हेतु यूजर एजेंसी वचन बद्ध रहेगी।

10. प्रकरण में आवेदक संस्थान को राशि रू. 100/– अन्य मद में भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा कर रसीद इस स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

Continuous page-3

11. डिवीजनल इंजीनियर (टेलीकाम) प्रोजेक्ट डिविजन इंदौर BSNL या उसके ठेकेदार द्वार वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी इंदौर द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्था द्वारा देय होगी।

12. डिवीजनल इंजीनियर (टेलीकाम) प्रोजेक्ट डिविजन इंदौर BSNL वचनबद्ध होगा कि यदि भविष्य मे भारत सरकार एवं राज्य सरकार (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक) मध्यप्रदेश भोपाल, क्षेत्रीय वनसंरक्षक इंदौर एवं वनमण्डलाधिकारी इंदौर द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 अनुसार वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण मे पंजीयन शुल्क रूपये 5000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 25,000/– कुल रूपये 30,000/– एस.बी.आई इंदौर आर.टी.जी.एस नं. एस.बी.आई 000615904062708201800485 बैंक स्कोल नं. 00485 दिनांक 27.08.18 से '406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियॉ (0229) विविध प्राप्तियों मे जमा किये है ।

13. रखरखाव की अनुमति वनमण्डलाधिकारी इंदौर द्वारा दी जावेगी।

14. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी एवं पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र मे उत्खनन नहीं किया जायेगा।

15. वन क्षेत्रो को यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो उसका उत्तरदायित्व आवेदक संस्थान का होगा।

16. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य अथवा संरक्षित क्षेत्र से बाहर है, तथा रालामण्डल अभ्यारण्य क्षेत्र से न्यूनतम 30.00 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थात रालामण्डल अभ्यारण्य के ईको सेंसटिव झोन 10 किलोमीटर के बाहर स्थित है।

17. म.प्र. शासन के पत्र कमांक एफ–5/18/02/10–3 दिनांक 4.12.2005 अनुसार आवेदित भूमि में छोटे बडे झाड का जंगल या आईडेटीफाईइट फॉरेस्ट मद की भूमि प्रस्ताव मे आ रही हो तो उसको सम्मिलित किया जावें। इस बाबत जिलाध्यक्ष/तहसीलदार का प्रमाण संलग्न किया जावें। कलेक्टर इंदौर के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 3709 दिनांक 28.12.2001 के संलग्न प्रपत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की तहसील महू में छोटे–बडे झाड का जंगल की जानकारी निरंक है। तथा इस कार्यालय का पत्र कमांक/माचि/7190 दिनांक 22.8.2015 जो मुख्य वनसंरक्षक क्षेत्रीय इंदौर वृत्त इंदौर तथा आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर तथा कलेक्टर जिला इंदौर को प्रेषित है, के अनुसार इंदौर जिले में छोटे बडे झाड के जंगल मद की जानकारी निरंक है।

18. आवेदनकर्ता विभाग व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारो ओर क्षेत्र मे वन्य जीव/वृक्षो को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेंगे तथा संरक्षित करने के लिए उपाय भी करेंगे।

19. आवेदक संस्था द्वारा वनभूमि का उपयोग केवल प्रस्ताव के अनुरूप होगा । अन्य कार्य के लिए नही होगा । यदि भूमि में परिवर्तन होगा तो उसकी स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन एवं केन्द्रीय शासन से नियमानुसार लेना आवश्यक होगा।

20. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी, तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

21. प्रस्ताव के साथ आवेदित वन क्षेत्र का निम्ना दिनांक के मौका पंचनामा मे प्रस्तावित आप्टिकल फायबर डालने के कक्ष क. 3, 4, 5 32, 33, 35, 36 मे अक्षांश देशांश निम्नानुसार दर्शित है :–

Continuous page-4

पंचनामा दिनांक 03.02.21 :–

कक्ष क. 3,

22^{0},24'',38.54''N	22^{0},24'',30.54''N	22^{0},24'',36.7''N
75^{0},34'',46.10''E	75^{0},34'',8.38''E	75^{0},34'',10.10''E
22^{0},24'',34.60''N	22^{0},24'',30.60''N	
75^{0},33'',58.60''E	75^{0},33'',53.50''E	

कक्ष क. 4

22^{0},24'',20.85''N	22^{0},24'',1.8''N	22^{0},23'',58.38''N
75^{0},33'',16.00''E	75^{0},33'',58.60''E	75^{0},32'',47.37''E

कक्ष क. 5

22^{0},24'',27.10''N	22^{0},24'',25.80''N	22^{0},24'',24.00''N
75^{0},33'',48.9''E	75^{0},33'',44.80''E	75^{0},33'',38.20''E

पंचनामा दिनांक 14.08.20 :–

कक्ष क. 32

22^{0},27'',13.10''N	22^{0},27'',8.50''N
75^{0},38'',33.90''E	75^{0},38'',27.70''E

कक्ष क. 33

22^{0},27'',16.30''N	22^{0},27'',13.10''N
75^{0},38'',40.20''E	75^{0},38'',33.90''E

पंचनामा दिनांक 14.08.20 :–

कक्ष क. 35

22^{0},30'',16.60''N	22^{0},30'',9.60''N
75^{0},41'',9.80''E	75^{0},41'',4.00''E

कक्ष क. 36

22^{0},30'',9.60''N	22^{0},30'',3.80''N	22^{0},29'',49.30''N
75^{0},41'',4.00''E	75^{0},41'',1.00''E	75^{0},40'',30.80''E

22. डीपीआर स्पष्ट हो। डीपीआर के मार्ग नक्शे मे आप्टिकल फायबर लाईन के जीपीएस स्पष्ट दर्शित हों । नक्शे में दर्शित लाईन से मौके पर लाईन का डायवर्शन मान्य नहीं होगा। उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य होने संबंधी लिखित में वचनपत्र एवं रू. 100 अन्य मद में भारत सरकार के पोर्टल से ऑनलाईन जमा करने की रसीद अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। शर्तो को मान्य करने का वचन पत्र एवं रू. 100 के भुगतान की रसीद प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा प्रकरण मे औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जावेगी। जब तक प्रकरण मे औपचारिक स्वीकृति प्रदान नही की जावेगी तब तक वनभूमि पर कार्य प्रारंभ न करे। अन्यथा स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा तथा स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी,
इन्दौर,वनमण्डल इन्दौर

Continuous page-5

इन्दौर,दिनांक 05/07 /2021

कमांक/मा.चि/2021/5759

प्रतिलिपि :–

(1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके पत्र क एफ:5/विविध/2020/10–11/2250 दिनांक 16.07.20 के तारतम्य में सूचनार्थ ।

(2) मुख्य वनसंरक्षक इंदौर वृत्त इंदौर की ओर उनके पत्र क. 2189 दिनांक 03.04.21 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(3) जिलाध्यक्ष, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(4) उपवनमण्डलाधिकारी महू की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(5) वनपरिक्षेत्राधिकारी मानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
इन्दौर,वनमण्डल इन्दौर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला – खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक–कार्यालय–(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3527 बडवाह, दिनांक -16.6.21

प्रति,

Division Engineer Telecom
Project Division Indore

विषय :– इन्दौर / धार / खरगोन जिले में BSNL द्वारा Indore-Mhow-Dhamnod Route में **ओ.एफ.सी लाईन डालने हेतु 0.37 हेक्टैयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण FP/MP/OFC/37419/2018)** ।

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / / 2018 / निर्देश / 10–11 / 48 भोपाल, दिनांक 06.01.2018

2. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3250 खण्डवा दिनांक 22.04.2021

––::––

संदर्भित पत्र क्रमांक–01 से प्राप्त निर्देशानुसार भारत संचार निगम लिमिटेड इन्दौर द्वारा **इन्दौर / धार / खरगोन जिले में इन्दौर–महू–धामनोद रूट में राईट ऑफ** वे के अन्तर्गत भूमिगत आप्टीकल फाइबर केबल लाईन बिछाने का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्राप्त प्रस्ताव में दर्शित एकरेखण का अभिलेखों के आधार पर उप वनमण्डलाधिकारी, मण्डलेश्वर एवं परिक्षेत्र अधिकारी काकडदा द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाकर जॉच प्रतिवेदन के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित योजना का एकरेखण वन परिक्षेत्र काकडदा के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित वनखण्ड खुडगांव के कक्ष क्रमांक 15 से होकर गुजरता है, विवरण इस प्रकार है:–

अ.क.	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष कमांक	लंबाई मी. में	चौड़ाई मी. में	क्षेत्रफल हे0में0
1	2	3	4	5	6	7
1	काकडदा	मेनविंध्या	15	640	0.5	0.032

विषयांकित योजना से 0.032 हे. वनभूमि प्रभावित होगी, अतः उप वनमण्डलाधिकारी, मण्डलेश्वर से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होकर तथा मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त, खण्डवा के पत्र कमांक / मा.चि. / 2021 / 3250 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004, एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14.12.2005, एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 01.07.2009 एवं एफ–5–11 / 2006 / 10–3 दिनांक 31.05.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार **राईट ऑफ** वे के अंतर्गत वनभूमि उपयोगार्थ प्रदान किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के तहत् एतद्द्वारा **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की जाती है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के वनभूमि पर भूमिगत आप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर तथा आवेदित चौडाई 0.5 मीटर से अधिक नही होगी।
3. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा।
4. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी / पत्थर की आवश्यकता हो तो किसी भी स्थिति में वनक्षेत्र में कोई अवैध उत्खनन नही किया जायेगा।
5. खंती खोदते समय वृक्षों को किसी भी प्रकार से हानि नही पहुंचाई जायेगी, तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नही काटा जायेगा।

––––2––––

6. यदि आपकी संस्था के ठेकेदार द्वारा वन या वनभूमि को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाई जाती है तो नुकसानी की भरपाई इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाकर राशि आपकी संस्था से देय होगी।
7. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिये नही किया जायेगा ।
8. भूमिगत ऑप्टीकल फायबर केबल लाईन के रखरखाव की अनुमति वनमंडल द्वारा दी जावेगी ।
09 वनभूमि पर श्रमिकों के लिए शिविर नही लगाये जायेंगें।
10. सूर्यास्त के पश्चात कोई भी कार्य वनक्षेत्र में नही किया जायेगा।
11. यह कार्यालय समय–समय पर स्थानीय पौधों एवं जन्तुओं के संरक्षण एवं विकास के लिए शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर कोई भी नई शर्त/शर्ते अधिरोपित करने के लिए सक्षम रहेगा।
12. भारत सरकार/राज्य शासन/वरिष्ठ कार्यालय/इस कार्यालय द्वारा भविष्य में अधिरोपित की जाने वाली अन्य कोई भी शर्त/शर्ते मानने के लिए **भारत संचार निगम लिमिटेड इन्दौर** बाध्य रहेगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करे ।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ताकि योजना में अंतिम चरण की औपचारिक अनुमति जारी की जा सकें।

(सी.एस.चौहान)
वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल बडवाह
बडवाह,दिनांक – 16.6.21

पृष्ठां.कमांक/मा.चि./2021/3528
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रिय) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन, लिंकरोड नं. 3, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.),
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.भोपाल, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक खंडवा वृत्त खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिलाध्यक्ष, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।
6. उपवनमंडलाधिकारी, मण्डलेश्वर की ओर सूचनार्थ।
7. वनपरिक्षेत्राधिकारी, काकडदा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि योजना के कियान्वयन से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी स्थिति में उल्लघंन न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

प्र.मु.व.सं.
(वन बल प्रमुख)
म.प्र.भोपाल

SR.P.A. TOP.C.C.F.
No. 4190
Dt. 25-6-21
MADHYA PRADESH, BHOPAL

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

E/Hcl data/BSNL/Letter2021

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 1495
मध्यप्रदेश, भोपाल 29/06/21